न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या — 1112/2024
अनवान : —

1. अमीलाल नॅदेवाल पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

—वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— **प्रतिवादी**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 21/2/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 18/18 की कुल 5.3110 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम अमीलाल पुत्र मुन्शीराम दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम नोरंग राम है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान—पत्र, जनआधार कार्ड आदि में अमीलाल नॅदेवाल पुत्र मुन्शी राम दर्ज है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपना नाम मुताबिक दस्तावेजात राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी का सही व वास्तविक नाम अमीलाल नॅदेवाल पुत्र मुन्शी राम है जबकि राजस्व रिकार्ड में अमीलाल पुत्र मुन्शीराम गलत दर्ज हो गया उक्त वादी भूमि में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग—उपभोग से वंचित है। वादी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान—पत्र, जनआधार कार्ड आदि में वादी का नाम अमीलाल नॅदेवाल पुत्र मुन्शी राम है। अतः मुताबिक वादी के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:41:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 18/18 की कुल 5.3110 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में वादी अपना नाम अमीलाल पुत्र मुन्शीराम के स्थान अमीलाल नॅदेवाल पुत्र मुन्शी राम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचना पत्र, जनआधार कार्ड आदि में वादी का नाम अमीलाल नॅदेवाल पुत्र मुन्शी राम अंकित है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 18/18 की कुल 5.3110 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में **वादी का नाम अमीलाल पुत्र मुन्शी राम के स्थान पर अमीलाल नॅदेवाल पुत्र मुन्शी राम के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:41:23 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 1112/2024
अनवान : –

1. अमीलाल नॅदेवाल पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1112 सन 2024 निर्णय दिनांक 21/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 18/18 की कुल 5.3110 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में **वादी का नाम अमीलाल पुत्र मुन्शी राम के स्थान पर अमीलाल नॅदेवाल पुत्र मुन्शी राम के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:41:23 IST
Reason: SelfAttested